UPBJ010020022026

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं0–1, बिजनौर।

पीठासीन अधिकारी– (राम अवतार यादव) (उच्चतर न्यायिक सेवा)– UP06041

अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या– 610/2026

शुभम कुमार बनाम सरकार

दिनाँक 10–03–2026

आदेश

यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र प्रार्थी/अभियुक्त **शुभम कुमार** पुत्र सरजीत सिंह, की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 70/2026 अन्तर्गत धारा 123, 308(7), 351(3) भारतीय न्याय संहिता थाना चाँदपुर, जिला बिजनौर के प्रकरण में इस प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया कि आवेदक को बिनाह पर रंजिशन झूठा फंसाया गया है। प्रार्थी निर्दोष है। प्रार्थी ने कोई अपराध नहीं किया है। तथाकथित घटना का कोई स्वतन्त्र व निष्पक्ष साक्षी नहीं है। आवेदक उपरोक्त मुकदमे में नामजद नहीं है तथा उपरोक्त मुकदमे में दो मोबाइल नं0 9917306380 व 8687618050 दर्शाये गये हैं, जिनसे वादी मुकदमा की बात होना तहरीर में अंकित किया गया है, ये दोनों मोबाइल नम्बर भी आवेदक के नहीं हैं और आवेदक कभी वादी मुकदमा से नहीं मिला है और न ही कभी बात की और न ही जानता है और न ही किसी प्रकार की मांग की है। प्रार्थी किसी भी तरीके से सबूतों व गवाहों से छेड़छाड़ न करने का वचन देता है। स्थानीय पुलिस कभी भी प्रार्थी को गिरफ्तार कर सकती है तथा दबिश दे सकती है। अतः प्रार्थी द्वारा दौरान मुकदमा अग्रिम जमानत प्रदान किये जाने की याचना की गयी है।

प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया तथा प्रार्थनापत्र के साथ संलग्न प्रथम सूचना रिपोर्ट की छायाप्रति का अवलोकन किया।

प्रथम सूचना रिपोर्ट के अवलोकन से विदित होता है कि अभियुक्त के विरुद्ध अन्य सह–अभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी मुकदमा को नशीला पदार्थ पिलाकर वादी की आपत्तिजनक फोटों खींचकर वायरल करने के नाम पर 10 लाख रुपये की मांग करने तथा फोन करके बुलाकर दिनांक 11–03–2025 को तीन लाख रुपये व चार दिन बाद दो लाख रुपये, दिनांक 02–02–2025 को पांच लाख रुपये अज्ञात व्यक्तियों को देने व रुपये न देने पर जान से मारने की धमकी दिये जाने का आरोप है।

Digitally signed by RAM AUTAR YADAV
Date: 2026.03.11 10:04:48 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

वादी मुकदमा की ओर से लिखायी गयी प्रथम सूचना रिपोर्ट में अभियुक्त के द्वारा अन्य सह–अभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी मुकदमा को नशीला पदार्थ पिलाकर वादी की आपत्तिजनक फोटों खींचकर वायरल करने के नाम पर 10 लाख रुपये की मांग करने तथा फोन करके बुलाकर दिनांक 11–03–2025 को तीन लाख रुपये व चार दिन बाद दो लाख रुपये, दिनांक 02–02–2025 को पांच लाख रुपये अज्ञात व्यक्तियों को देने व रुपये न देने पर जान से मारने की धमकी दिये की बात कही गयी है। केस डायरी के अवलोकन से यह भी विदित है कि पीड़ित/वादी मुकदमा ने अपने बयान में दिनांक 10–03–2025 को अपनी पुत्री पारूल अग्रवाल अपने मायके जाना, उसके पीछे उसके घर की मैट कामिनी उसके घर पर काम करना व उसकी चाय में नशीला पदार्थ मिलाकर नशे की हालत में करके उसके कुछ आपत्तिजनक फोटो/विडियो बनाना तथा अगले दिन दिनांक 11–03–2025 को उसके आपत्तिजनक फोटो व विडियो उसके व्हाट्सअप पर भेजकर वायरल करने की धमकी देकर दस लाख रुपये की मांग किये जाने का कथन किया है। सह–अभियुक्ता कामिनी ने अपने बयान अन्तर्गत धारा 180 बी0एन0एस0 में अभियुक्त शुभम को अपना बायफ्रैन्ड होना एवं अभियुक्त शुभम द्वारा उसके फोन में कैमरा सैट करना बताया है। अभियुक्त उपरोक्त पर गंभीर प्रकृति का आरोप आरोपित है। अभियुक्त पर लगाया गया आरोप दस वर्ष तक के दण्ड से दण्डनीय अपराध है। उपरोक्त प्रकरण में विवेचना अभी प्रचलित है। यदि अभियुक्त को अग्रिम जमानत पर रिहा कर दिया गया तो इससे विवेचना पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। वादी मुकदमा की ओर से लिखाई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट के तथ्यों के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध प्रथम दृष्टया गंभीर व संज्ञेय प्रकृति का अपराध बनना परिलक्षित होता है।

अतः उपरोक्त मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त नहीं है।

तद्नुसार अभियुक्त **शुभम कुमार** का अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाता है।

दिनाँक 10–03–2026

(राम अवतार यादव)
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं0–1
बिजनौर।